

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

उ०प्र० पुलिस / यातायात पुलिस

बुक क्रमांक

325

रसीद क्रमांक

16229

वाहन का रजिस्ट्रेशन नं०

HR 55AB 3556 Swift Drive

वाहन स्वामी का नाम

अ. क. कोमलालीटेकनीकल कंपनी

पुत्र

Company

पता

उद्योग विहार II (ला.नं. 230) गुडगांव हरियाणा

उल्लंघन करने का स्थान

राव बा स्टोर

थाना क्षेत्र

गुडगांव

दिनांक

04/02/19

समय

वाहन की किस्म

Swift Drive

परमिट नं०

परमिट की वैधता

ड्राइविंग लाइसेन्स नं०

वैधता

(अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने बन्ध-पत्र)

चालक

सुरेश कुमार

पुत्र

सुरेश कुमार

पता

H-1/186 New Delhi

थाना

21/1/19

जिला

Easton

का निवासी है।

इस लेख द्वारा

वचन देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक

13/02/19

समय 10 बजे प्रातः को

Shri M. C. H. S. / A. E. S.

न्यायालय में उपस्थित होकर वहाँ अपने उपर लगाये हुए मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए उपस्थित रहूँगा / रहूँगी और उपस्थित न होने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित दण्ड/जुर्माने के लिए उत्तरदायी हूँगा/हूँगी।

9897-99878

वाहन चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण निम्नवत है।

क्र०

अपराध का विवरण

धारा

1) NH 58 पर वाहन खराब होने के कारण अवकाश करना,

चालानकर्ता अधिकारी द्वारा बन्ध-पत्र के

साथ प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

(1) रजिस्ट्रेशन (4) परमिट

(2) डी०एल० (5) कोई नहीं

(3) बीमा

चालानकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम SR 5/10/19

थाना

गुडगांव

जनपद

गुडगांव

बन्ध-पत्र/विवरण की प्रति प्राप्त की

हस्ताक्षर चालक

[Signature]